

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक० प्रक० क०-539 / 15

संस्थापित दि० 04 / 09 / 15

फाईलिंग नं. 233504001652015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----**अभियोजन**

--: **विरुद्ध :-**

कैलाश पिता मुंशी, उम्र 36 वर्ष,
जाति गौली, पेशा मजदूरी, नि०ग्राम चुटकी,
थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

----- **अभियुक्त**

--: **निर्णय :-**

(आज दिनांक 29 / 12 / 2016 को घोषित)

- 1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा 498 "ए" के तहत अभियोग है कि आपने दिनांक 18/08/15 समय सुबह करीबन 1:00 बजे ग्राम चुटकी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० में अभियोक्ता को लात घुसों से मारकर कर कुरता कारित की।
- 2— दिनांक 29/12/16 को फरियादी वीरवतीबाई और आरोपी के मध्य राजीनामा होने से आरोप को धारा 323 एवं 506 भाग-2 भा०द०वि० के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया गया।
- 3— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम चुटकी रहती है। उसका विवाह 8 वर्ष पूर्व ग्राम चुटकी के कैलाश यादव के साथ सम्पन्न हुआ था, उन दोनों से दो लड़की ज्योति 5 वर्ष, कीर्ति देव वर्ष की है उसके पति कैलाश के अवैध संबंध गांव की कंचना से करीब दो ढाई वर्षों से है वह कभी कभार उसके पति कैलाश को समझाती है कि तो वह उसे बुरी तरह से मुक्के थप्पड़ से मारपीट करता था। उसने सोचा आज नहीं तो कल उसके पति में सुधार आयेगा यह समझकर वह सहन करते रही एवं खेती बाड़ी का पूरा पैसा कहां खर्च करते है कोई हिसाब नहीं देते फिर भी उसने बहुत सहन किया। दिनांक 18/08/15 के सुबह 10:00 बजे पुनः उसने उसके पति कैलाश को बोला कंचन में ऐसा क्या है जो उसमें नहीं है इसी बात पर से पति ने उसे लाठी लात घुसों से मारपीट किये तथा बाल पकड़कर जमीन पर गिरा दिये जो उसके दांहिने पुट्टे, गाल, पीठ एवं बाये हाथ में चोट आई झगड़े का बीच बचाव उसकी भाभी सास जशोदाबाई, नन्हाबाई ने किया तथा गांव के पूरन यादव एवं लालूराम यादव ने भी देखा है। उसने अपने मायके फोन लगवाकर उसके भाई दयाराम यादव को बुलाकर उसके साथ उसके मायके जाने लगी तो उसका पति कैलाश गंदी-गंदी गालियाँ देकर बोला मादर चोद तूने थाने में रिपोर्ट की तो जान से खतम कर देग। उसने उसके मायके में उसके पिता भन्त यादव को पूरी घटना सुनाई।

4- प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 है जिसके आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्रमांक 449/15 भा.द.सं धारा-498 "ए", 323, 506 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दिनांक 22/08/15 को सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी. 2 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।

5- अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त ने अपने अभियुक्त परीक्षण में कहा कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने अपने बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

6- : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1-"क्या आपने दिनांक 18/08/15 समय सुबह करीबन 1:00 बजे ग्राम चुटकी, थाना आमला, जिला बैतूल म०प्र० में अभियोक्त्र को लात धुसों से मारकर कर कुरता कारित की?"

-: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-
विचारणीय प्रश्न क० 1 का निराकरण

7- अभियोजन साक्षी बीरवतीबाई (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि आरोपी ने उसे कभी भी लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया। आज से लगभग 1 साल पहले आरोपी ने घरेलु बातों को लेकर आरोपी ने उसके हाथ मुक्कों से मारपीट की थी। जिससे उसे पुट्टे, गाल, पीठ एवं बांये हाथ में चोट आई थी। आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। उसने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र०पी० 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसका डॉ० मुलाहिजा करवाई थी। पुलिस ने मौके पर आकर मौका नक्शा प्र०पी० 2 तैयार किया जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। शासन की ओर से पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न में इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि आरोपी उसका पति उसे लगातार शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। आगे इस गवाह ने यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी का गांव की किसी अन्य महिला से अवैध संबंध था और उसके द्वारा समझाने पर आरोपी उसके साथ मारपीट लड़ाई झगड़ा करता था। आगे इस गवाह ने यह अस्वीकार किया है कि उसने पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी० 1 का बी से बी भाग एवं पुलिस कथन प्र०पी० 3 का ए से ए भाग लेख कराई थी।

8- आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से उसकी मर्जी से बिना किसी डर दबाव के राजीनामा हो गया है। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में यह स्वीकार किया है कि वह उसके पति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। यह गवाह स्वयं फरियादी है और उक्त गवाह ने अपनी मुख्यपरीक्षा सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा में अभियुक्त के द्वारा अभियोक्त्र को लात धुसों से मारकर कर कुरता कारित की हो, का समर्थन नहीं किया। इस प्रकार इस गवाह की साक्ष्य से मुख्य परीक्षा, सूचक प्रश्न एवं प्रतिपरीक्षा से भा०दं०वि० की धारा 498 "ए" के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

9- उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्र को लात धुसों से मारकर कर कुरता कारित की। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 1 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

10- उर्पयुक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से

परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त ने अभियोक्ति को लात घुसों से मारकर कर कुरता कारित की। इस प्रकार अभियुक्त कैलाश को भा०द०वि० की धारा-498 "ए" के अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

11- अभियुक्त के धारा-313 द०प्र०स० के पूर्व प्रस्तुत मुचलका भारमुक्त किया जावे। अभियुक्त का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

12- प्रकरण में सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं मेरे बोलने पर टंकित।
दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०